कार्यालय **जिला उद्यान अधिकारी, उधम सिंह नगर** के माह नवम्बर 2013 से अप्रैल 2016 तक के अवधि की लेखा अभिलेखों पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 13 के अधीन सर्व श्री विभाष चंद्र मुखर्जी, एवं प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियो द्वारा दिनांक 10-05-2016 से 17-05-2016 तक श्री जे॰ एम॰ एस॰ रावत, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण मे संपादित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

यह निरीक्षण आख्या **जिला उद्यान अधिकारी, उधम सिंह नगर** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-एक

(अ) परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनिल कुमार शर्मा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 21-11-2013 से 29-11-2013 तक में सम्पन्न की गयी थी जिसमें माह अप्रैल 2006 से 10/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान में माह नवम्बर 2013 से अप्रैल 2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा-

2. श्री बृजेश कुमार, जिला उद्यान अधिकारी (01-11-2013 से 20-03-2013)
3. श्री रतन सिंह चौधरी, जिला उद्यान अधिकारी (21-11-2013 से वर्तमान तक)

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	भाग 2 अ	भाग 2 ब
1.	101/2006-07	-	1
2.	2013-14/49	-	1,2

(स) सतत् अनियमिततायेः शून्य।

(द) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित): शून्य।

बजटः

1- राज्य सैक्टर और जिला सैक्टर

(धनराशि ` में)

वर्ष	आयोजनागत	आयोजनोत्तर

	आवंटन	व्यय	आंवटन	व्यय
2013-14 (Nov 13 to 03/14)	5871150	5871150	41596692	41596692
2014-15	7358171	7358171	42380929	42380929
2015-16	8193607	8193607	54263099	54263099
कुल योग	21422928	21422928	138240720	138240720

2- एच॰एम॰एन॰ई॰एच॰/एम॰आई॰डी॰एच॰

(धनराशि ` lakh में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2013-14	391.45	345.45
2014-15	297.04	177.637
2015-16	164.08	298.206
कुल योग	**852.57**	**821.293**

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1:- बागवानी मिशन (एच॰एम॰एन॰ई॰एच॰) की विषयक लेखा परीक्षा (Thematic Audit) के अंतर्गत (2013-14 से 2015-16) लेखा परीक्षा प्रेक्षण/पायी गयी अनियमितता/अनियमित वित्तीय सहायता।

1- <u>संरक्षित खेती:</u>

विभागीय प्रावधानों के अनुसार पोली हाउस के निर्माण के समय कृषक, फ़र्म, एवं विभाग के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता –पत्र तैयार किया जाना था जिससे विभाग यह सुनिश्चित कर सके कि फ़र्म द्वारा (i)- पोली हाउस के निर्माण से लेकर एक वर्ष तक मुफ्त मरम्मत की वारंटी एवं (ii)- कृषको को परिचालन, मरम्मत एवं पैदावार का तकनीकी ज्ञान प्रदान करने किया जाए। पोली हाउस के निर्माण पर लागत मूल्य[1] की 50% आर्थिक सहायता मात्र उन कृषको को प्रदान किया जाना था जिनके पास कृषि भूमि का स्वामित्व हो। जिला उद्यान अधिकारी उधम सिंह नगर के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (मई 2016) में पाया गया कि,

- पोली हाउस के निर्माण मे त्रिपक्षीय समझौता –पत्र तैयार नहीं किया जा रहा था। उक्त का अनुपालन न किए जाने के कारण विभाग द्वारा पोली हाउस के निर्माण एवं संचालन को प्रभावी ढंग से लागू करने मे असमर्थ रहें साथ ही शासकीय कार्यो मे पारदर्शिता एवं जवाबदेही का अभाव रहा। निदेशक, बागवानी मिशन के द्वारा National Committee on Plasticulture applications in Agriculture and Horticulture (NCPAH) के तकनीकी विशिष्टीओ के अनुरूप किसी भी पोली हाउस के निर्माण के समय न तो विभाग के द्वारा और न ही फ़र्म द्वारा पोली हाउस हेतु निर्धारित गुणवत्ता मानको की जांच की गयी।

- अभिलेखो की जांच मे पाया कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा 01 कृषक को कृषि भूमि पर स्वामित्व सुनिश्चित किए बिना ही पोली हाउस पर कुल ` 5.33 लाख की राज सहायता प्रदान की गयी। विभाग द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया, निदेशक बागवानी मिशन द्वारा अवगत कराया गया कि, संबन्धित प्रकरणो मे कार्यवाही की जाएगी।

1- <u>जलस्रोतों का सृजन:</u>

बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत बागवानी फसलों मे सिचाई सुविधा सुनिश्चित करने हेतु मिशन के अंतर्गत जल स्रोतों (तालाबो/ ट्यूब-वेलो/ और कुओं) के निर्माण के लिए सहायता का प्रावधान है। MIDH के Operational Guideline के अनुसार ट्यूब-वेलो के निर्माण के लिए Cost Norms `1.50 लाख (plain areas) ` 1.80 लाख (hilly area) निर्धारित की गयी है, जिसके सापेक्ष 50% राशि की केंद्रीय राज सहायता (Subsidy) का

प्रावधान हैं। राज्य सरकार द्वारा भी उक्त केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त क्रमशः ` 25000.00 तथा ` 10000.00 की राजसहायता का प्रावधान किया गया है। विभागीय प्रावधानों के अनुसार ट्यूब-वेलो के निर्माण पर आवेदक को निम्न शर्तों के अधीन राजसहायता का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया हैं।

i. स्थापित किए गए ट्यूब-वेल का मूल निर्माणकर्ता एजेंसी/पंजीकृत का बिल दो प्रतियों के साथ भुगतान की गयी धनराशि की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत किया जाना था जिस पर ट्यूब-वेल निर्माण का पूर्ण विवरण भी अंकित किया जाना था।
ii. शपथ पत्र कि स्थापित किए गए ट्यूब-वेल पर किसी अन्य विभाग/संस्था से अनुदान नहीं लिया गया तथा पूर्व मे ट्यूब-वेल स्थापित नहीं है।
iii. स्थापित किए ट्यूब-वेल के साथ प्रार्थी के दो फोटो ग्राफ भी संलग्न किया जाना है जिसमे से एक फोटो खुदाई के समय की भी होना चाहिए।

[1] (a) Up to ` 1060/Sqm (for Area up to 500/Sqm), (b) ` 935/sqm (for area from 501 to 1008 Sqm), (c) ` 890 (for Area from 1009 to 2080 Sqm) and (d) ` 844/sqm (for area from 2081 to 4000/Sqm) since 2014-15 prior to it was ` 935 per sqm.

iv. उपरोक्त के अतिरिक्त जिला योजना समिति द्वारा कार्य पूर्ण होने के प्रमाण पत्र एवं तकनीकी विभाग के कनिष्ठ अभियंता/अपर सहायक अभियंता के द्वारा कार्य की एम॰ बी॰ किए जाने के उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जानी चाहिए।

मिशन के अंतर्गत निम्न लाभार्थियो के ट्यूब-वेलो के निर्माण से संबंधी अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच की गयी।

1- श्री हंशराज सिंह S/o श्री रघुराज सिंह **ग्राम -आनंद नगर**
2- श्री कृष्ण कुमार यादव S/o श्री जीत राम यादव **ग्राम -आनंद नगर**

3- श्री सीता राम S/o श्री गेंदा सिंह **ग्राम -कुआं खेड़ा**
4- श्री हयात सिंह S/o श्री जगदीश सिंह **ग्राम -कुआं खेड़ा**

5- श्री दया कृष्ण S/o श्री गेहुवा **ग्राम -अमरू कला।**
6- श्री भागीरथी S/o श्री मुंशी राम ग्राम -**अमरू कला।**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मिशन के अंतर्गत तीन ग्रामो मे कुल 6 लाभार्थियो द्वारा ट्यूब-वेल स्थापित किए गए थे, प्रत्येक ग्राम मे दो लाभार्थियो को ट्यूब-वेल की स्थापना हेतु राज सहायता प्रदान किया गया है। ट्यूब-वेल के निर्माण से संबन्धित फोटोग्राफ (प्रतिलिपि संलग्न) जोकि भुगतान से संबन्धित देयकों भी संलग्न है के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि एक ही ग्राम मे स्थापित दोनों ट्यूब-वेलो की फोटो ग्राफ लगभग एक जैसी है उक्त फोटोग्राफ मे लाभार्थी तो भिन्न है किन्तु ट्यूब-वेल का निर्माण स्थल एक ही है। अर्थात दोनों लाभार्थियो/एक लाभार्थी द्वारा एक ही ट्यूब–वेल की फोटो संलग्न कर पृथक-पृथक राजसहायता प्राप्त किया गया हैं।

लेखा परीक्षा द्वारा विभागीय प्रतिनिधि, उद्यान सचल दल, रुद्रपुर के साथ आनंदपुर मे स्थापित किए गए ट्यूब-वेलो का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया श्री हंशराज सिंह मौके पर उपलब्ध नहीं थे उनके पुत्र श्री निखिल द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि उनके द्वारा मिशन के अंतर्गत कोई राज सहायता नहीं प्राप्त की गयी है तथा उनके द्वारा बागवानी नहीं की जाती है। श्री कृष्ण कुमार यादव S/o श्री जीत राम यादव भी मौके पर नहीं मिले।

इस प्रकार विभागीय मानको/शर्तो के विरुद्ध देयक प्रस्तुत कर 3 लाभार्थियो के द्वारा कुल 3.00 लाख[2] [3 X (0.75-मिशन +0.25-राज्य सरकार)] की अनियमित सहायता प्राप्त की गयी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि, प्रकरण की जांच की जाएगी।

२. <u>बागवानी मे यान्त्रिकी:</u>

जिला उद्यान अधिकारी उधम सिंह नगर के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (मई 2016) में पाया कि, विभाग द्वारा Horticulture Mechanization के घटक (Self-propelled horticulture machinery) के अंतर्गत वर्ष 2013-14 मे निम्न निम्न चार कृषको को पावर स्प्रेयर के क्रय पर प्रत्येक को ` 14500.00 राजसहायता प्रदान की गयी।

I. श्री हर दयाल S/o श्री हेतराम ग्राम कुलवंत नगर
II. श्री सुरेन्द्र कुमार S/o श्री चंबा राम गदरपुर।
III. श्री किशोरीलाल S/o श्री हेतराम ग्रामकुलवंत नगर
IV. श्री पूरन चंद S/o श्री मांगा राम गदरपुर

[2] लेखा परीक्षा के द्वारा एक लाभार्थी द्वारा ट्यूब-वेल की स्थापना को सही मान कर गणना की गयी है।

कृषको द्वारा राजसहायता के भुगतान हेतु मॉडल **(Specification) KK-BC-2 JP45 2 stroke Mitsubishi Petrol Engine 2.2 HP** के पावर स्प्रेयर क्रय की ` **29000/-** की रसीदे प्रस्तुत की गयी। विभाग द्वारा लाभार्थियो द्वारा प्रस्तुत रसीदों के सापेक्ष 50% (` 14500/-) की राजसहायता का भुगतान उक्त चारो कृषको को पावर स्प्रेयर की श्रेणी के अंतर्गत किया गया। अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच में पाया कि, उक्त मॉडल/Specification पावर स्प्रेयर से संबन्धित नहीं है, उक्त Specification पावर वीडर (घास काटने हेतु) से संबन्धित है। इस प्रकार लाभार्थियो द्वारा पावर स्प्रेयर के क्रय पर पावर वीडर की रसीदे पर राजसहायता का भुगतान किए जाने की कार्यवाही से प्रतीत होता है कि विभाग के द्वारा लाभार्थियो के दावो की सत्यता/प्रामाणिकता सुनिश्चित किए बिना भुगतान की कार्यवाही की गयी। उक्त के साथ लाभार्थियो द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र भी अपूर्ण हैं।

अतः विभाग द्वारा Specification KK-BC-2 JP45 2 stroke Mitsubishi Petrol Engine 2.2 HP जोकि पावर वीडर से संबन्धित है पर पावर स्प्रेयर की श्रेणी के अंतर्गत राजसहायता (Subsidy) का भुगतान किया जाना अनियमित है। इस प्रकार 4 लाभार्थियो को कुल ` 58000.00 अनियमित अदेय (Undue) राजसहायता (Subsidy) प्रदान की गयी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि, संबन्धित फ़र्म प्रभारी और उद्यान सचल दल से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

(ii) लेखापरीक्षा द्वारा जांच में पाया गया कि कार्यालय/विभाग के द्वारा 14 लाभार्थियों को ट्रैक्टर/पावर टिलर के क्रय पर विभागीय मानकों के सापेक्ष कुल 2.87 लाख की अधिक राज सहायता (financial assistance) प्रदान की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा सभी संबन्धित लाभार्थियों से कुल `2.87 लाख की वसूली कर ली गयी।

<u>भाग-तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **जिला उद्यान अधिकारी, उधम सिंह नगर** को इस आशय के साथ प्रेषित कि उसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर सीधे उपमहालेखाकार (आर्थिक अनुभाग-II) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून को प्रेषित को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक-II